बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

:: संकल्प ::

विषयः मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से कोरोना वायरस (COVID-19) के संबंध में व्यय।

कोरोना वायरस (COVID-19) ने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। बिहार राज्य भी इससे प्रभावित है। इस वैश्विक महामारी की राज्य में रोकथाम तथा इससे संक्रमित व्यक्तियों की जांच एवं उपचार हेतु आवश्यक सामग्री, सेवाएँ एवं अन्य आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से आवश्यक निधि का प्रावधान किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना द्वारा प्रदत्त राशि से स्वास्थ्य विभाग में कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया जायेगा।

1. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम एवं उपचार हेतु मो0 50,00,000.00 (पचास लाख) रूपये की राशि प्रत्येक माननीय सदस्य, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद् की वित्तीय वर्ष 2019–20 या 2020–21 की अनुमान्यता के विरुद्ध योजना एवं विकास विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में सृजित कोरोना उन्मूलन कोष में उपलब्ध कराया जायेगा।
2. यदि माननीय सदस्य, बिहार विधान मंडल चाहें तो उपर्युक्त 50,00,000.00 (पचास लाख) रूपये के अतिरिक्त राशि की अनुशंसा उपरोक्त प्रयोजनार्थ मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पूर्व के वित्तीय वर्षों की अवशेष राशि तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपलब्ध होने वाली राशि से कर सकते हैं। इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा अपनी अनुशंसा प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग को 30 अप्रैल, 2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी। तदनुरूप माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित राशि योजना एवं विकास विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार में सृजित कोरोना उन्मूलन कोष में उपलब्ध कराया जाएगा।
3. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत उपलब्ध राशि से स्वास्थ्य विभाग संपूर्ण राज्य में किसी भी क्षेत्र के लिए COVID-19 के संबंध में किसी भी प्रकार का व्यय कर सकेगा।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मनीष कुमार वर्मा)
सचिव